सं. डब्ल्यू-02/0058/2016-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/18

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक 21 मई, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले कर्मचारियों का वेतन संशोधन-भत्तों आदि पर सरकार के निर्णय - संबंधी।

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले कर्मचारियों के वेतन संशोधन संबंधी दिनांक 17.08.2017 के लोक उद्यम विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू निम्नलिखित भत्तों में संशोधन किया गया है :

i. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017-स्था–ए- IV के अनुसार एलटीसी के प्रयोजन हेतु यात्रा हकदारी (अनुबंध- I)।

ii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए- 27012/02/2017-स्था– (एएल) के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता स्वीकृत करना (अनुबंध- II)।

iii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.10.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए- 27012/02/2017-स्था– (एएल) के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता स्वीकृत करना (अनुबंध- III)।

iv. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए- 27012/03/2017-स्था– (एएल) के अनुसार नि:शक्त महिलाओं के लिए शिशु देखभाल हेतु विशेष भत्ता (अनुबंध- IV)।

2. इसके अतिरिक्त व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा निम्नलिखित भत्तों को समाप्त कर दिया गया है;

i. छोटा परिवार मानकों को अपनाने हेतु परिवार नियोजन भत्ते को समाप्त करने संबंधी व्यय विभाग के दिनांक 07.07.2017 का कार्यालय ज्ञापन संख्या - 12(4)/2016-ई –III ए –सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश (अनुबंध- V)।

ii. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर डेस्क भत्ते को समाप्त करने हेतु सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए- 27023/01/2017- स्था– (एएल) (अनुबंध- VI)।

3. तदनुसार, सीडीए पैटर्न का पालन करने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के भत्तों में उपर्युक्त पैरा 1 और 2 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार <u>दिनांक 01.07.2017</u> से संशोधन किया जाए।

4. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त भत्तों में व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा किए गए किसी प्रकार के अनुवर्ती संशोधन इन कर्मचारियों पर भी लागू हो जाएंगे।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों को अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सीपीएसईज़, जो लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीडीए वेतन प्रणाली का अनुपालन कर रहे हैं, ध्यान में ला दें।

(समसुल हक)
अवर सचिव

संलग्नः यथोक्त

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, ई- III ब्रॉच, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(समसुल हक)
अवर सचिव